



क्रमांक/सम्पत्तिकर/2020/649।

भोपाल, दिनांक 23/03/2020


प्रति,

1. समस्त आयुक्त,  
नगर पालिक निगम (म.प्र.)
2. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास, (म.प्र.)
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका/नगर परिषद, (म.प्र.)

विषय—नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों द्वारा सम्पत्तिकर/जलकर/उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की वसूली के संबंध में।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 20.03.2020 द्वारा मध्यप्रदेश हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 तथा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये इसे संक्रामक रोग के रूप में अधिसूचित किया गया है। नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) का फैलाव श्रृंखलाबद्ध रूप से अत्यंत त्वरित गति से होता है। मध्यप्रदेश राज्य के कुछ जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुये हैं।

2. उक्त स्थिति में कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य एवं निर्मित असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP-06804-2020, अमित कुमार साहू, विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य के साथ संबंध याचिकाओं में धारित आदेश दिनांक 20.03.2020 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 की धारा 162 एवं 163 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 130, 131 एवं 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुये समस्त नगर पालिका निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद में सम्पत्तिकर/जलकर/उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) की राशि वसूलने की समय-सीमा में दिनांक 15.04.2020 तक घूट दी जाती है इसके साथ ही करों/प्रभार को वसूल करते समय यह ध्यान भी रखा जाये कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत अनावश्यक बल प्रयोग ना किया जाये।

  
23/3/20  
(तेजस्वी एस. नायक)

अपर आयुक्त,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.

निरन्तर \_\_\_\_/2/




/2/

पृष्ठा क्रमांक/सम्पत्तिकर/2020/6492  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक : 23/03/2020

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल, म.प्र।
2. समस्त समाग्रीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त महापौर/अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी, नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद/नगर परिषद, म.प्र।
5. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, म.प्र।
6. श्री नरेन्द्र मगत, वेब कन्टेन्ट मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, म.प्र. की ओर वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल हेतु।

  
23/3/20

अपर आयुक्त,  
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र